



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]
No. 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2009/माघ 17, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2009/MAGHA 17, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2009

का.आ. 413(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्याक का.आ. 1097(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 63.000 कि.मी. से 228.000 कि.मी. (भरतपुर-महुआ-जयपुर खंड) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है) पर 63.000 कि.मी. से 120.000 कि.मी. (भरतपुर-महुआ खंड) तक के विद्यमान दो लेन वाले भाग को चौड़ा करके चार लेन बनाने, विकास करने तथा अनुरक्षण और प्रचालन के लिए मैसर्स मधुकोन आगरा-जयपुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय, मधुकोन हाऊस, प्लॉट नम्बर 36, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033 है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिघात पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण और करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन इनमें से जो पश्चात्तवर्ती हो, की तारीख से ही उक्त करार में यथा विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

रियायतग्राही नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों पर उक्त के खंड के उपयोग के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार फीस की दर पर फीस संग्रहीत और प्रतिधारित करेगा ।

फीस पथकर प्लाजा पर 64.57 और 98.50 कि.मी. पर संग्रहीत की जाएगी ।

| क्रम संख्या | यान का प्रकार | आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा फीस की दर (रूपए प्रति कि.मी.) |
|-------------|--------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | मोटर कार, यात्री वैन अथवा जीप | 0.40 |
| 2. | हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी) | 0.70 |
| 3. | ट्रक/बस | 1.40 |
| 4. | बहुधुरीय यान(>दो धुरीय) | 2.25 |

* बहुधुरी यान जिसमें अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी संनिमार्ण मशीनरी यान समम्लित होगी ।

टिप्पण:-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :-

(i) "वास्तविक फीस" से निम्नलिखित आधार पर उक्त खंड के सड़क प्रयोक्ताओं से प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है

(क) प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रयुक्त परियोजना राजमार्ग की लम्बाई,

(ख) इस अधिसूचना की सारणी में दी गई आधार फीस,

और जो पाँच रूपये के निम्नतर की ओर निकटतम पूर्णांकित में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त खंड पर करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के पूरा होने पर स्वतंत्र परामर्शी द्वारा, यथास्थित, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होता है ।

(iii) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबन्धों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(iv) "स्थानीय निजी यातायात" से ऐसे निजी वाहन अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत है और जो सामान्यतः ऐसे स्थान पर निवास करता है अथवा ऐसे स्थान पर कार्य करता है, जहाँ पहुँचने के लिए उसे सामान्यतः उक्त खंड में किसी एक भाग का ही उपयोग करना होता है और अतः उस व्यक्ति को अपने कार्य स्थान से निवास अथवा निवास से कार्य स्थान तक आने जाने के लिये निजी

वाहन का उपयोग करना पड़ता है तथा इस सामान्य यात्रा के अनुक्रम में टोल नाके को पार करना पड़ता है।

(v) "स्थानीय वाणिज्यिक यातायात" से ऐसा कोई वाणिज्यिक यान अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत सवारियों और माल को लाने व ले जाने में लगे बस, ट्रक, हल्के मोटरयान या टैक्सी आते हैं जो रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं और नियमित रूप से उक्त खंड का उपयोग करते हैं एवं टोल नाका पार करते हैं।

(vi) शब्द और पदों को जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त धारा के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त करार, उक्त करार में क्रमशः उनके हैं।

2. फीस की वास्तविक दर की संगणना चालू वर्ष के लिए की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से निम्नलिखित आधार पर पुनरीक्षित की जाएगी :-

आधार फीस X डब्ल्यू पी आई-बी X प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रयुक्त लम्बाई
डब्ल्यू पी आई-ए

जहां

*डब्ल्यू पी आई-ए = मार्च 1997 को यथा विद्यमान थोक कीमत सूचकांक है

*डब्ल्यू पी आई-बी = पुनरीक्षित फीस की तारीख से पूर्वगामी 31 मार्च को थोक कीमत सूचकांक है।

* डब्ल्यू पी आई से आर्थिक सलाहाकार, वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक या उसको प्रतिस्थापित करने वाला कोई अन्य सूचकांक अभिप्रेत है।

3. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रसारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात:-

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या

- (छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
- (आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;
- (ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।
- (iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान ।
4. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर बूथों से 500 मी. आगे, पथकर बूथों से 100 मी. आगे और पथकर बूथों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सकें ।
5. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित छूट दरों से अधिक कोई फीस संगृहीत नहीं करेगा, अर्थात्:-
- | | | | |
|-----|---------------------------|---|--|
| (क) | स्थानीय निजी यातायात | : | यान के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लागू फीस का पच्चीस प्रतिशत |
| (ख) | स्थानीय वाणिज्यिक यातायात | : | यान के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लागू फीस का पच्चीस प्रतिशत |
- परंतु यदि उक्त स्थानीय यातायात द्वारा निर्बाध उपयोग के लिए कोई पृथक सेवा लाइन खुली है तो रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से वास्तविक फीस उद्गृहीत और संगृहीत करेगा यदि वे राजमार्ग का उपयोग करते हैं।
6. प्रत्येक पथकर प्लाजा पर फीस निम्न लिखित लम्बाई के लिये ली जायेगी ।
- | | | | |
|------|--------------------------|---|----------------------------|
| (i) | पथकर प्लाजा 64.57 कि.मी. | - | 18.50 कि.मी. लम्बाई के लिए |
| (ii) | पथकर प्लाजा 98.50 कि.मी. | - | 38.50 कि.मी. लम्बाई के लिए |

परन्तु उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह उक्त खंड के लिए फीस का संदाय प्रथम पथकर प्लाजा पर कर दे और ऐसी स्थिति में दूसरे पथकर प्लाजा पर बिना किसी पथकर वसूली के रसीद देखकर जाने दिया जायेगा ।

7. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उदगृहीत नहीं की जाएगी जो इस अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (2) के अंतर्गत नहीं है ।
8. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख होगा और ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने के लिए 10 दिन पहले पुनः प्रकाशित किया जाएगा ।
9. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी । जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्रप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर टीका-टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी ।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/405/08-09/सी.ओ./जीसी दौसा (भारतपुर-महुआ) बीओटी]
प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2009

S.O. 413(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1097(E), dated the 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, the Central Government entrusted the stretch from Km 63.000 to Km 228.000 (Bharatpur – Mahua - Jaipur Section) of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Madhucon Agra – Jaipur Expressways Limited, having its registered office at Madhucon House, Plot No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad-500033 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for improvement, operation and maintenance, rehabilitation and strengthening of the existing two-lane road to four-lane divided highway from Km 63.000 to Km 120.000 (Bharatpur – Mahua Section) of the National Highway Number 11 (hereinafter referred to as the said section);

524 GI/09-2

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any Person for the Use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in the Schedule annexed hereto and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the said agreement;

SCHEDULE

The Concessionaire shall collect and retain the fee on mechanical vehicles specified in column (2) of the Table below, for the use of the said section at the base rate of fee specified in column (3) of the said Table.

The fee shall be collected at two toll plazas located at km. 64.57 and km. 98.50.

Table

| S. No. | Category of Vehicle | Rate of base fee per Km per vehicle per one way trip (in rupees) |
|--------|---------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Car, passenger van or jeep | 0.40 |
| 2 | Light Commercial Vehicles (LCV) | 0.70 |
| 3 | Truck/Bus | 1.40 |
| 4 | Multi Axle Vehicle (>2 axle) * | 2.25 |

*** Multi-axle vehicle includes earth moving equipment and heavy construction machinery.**

Notes:-

1. For the purposes of this notification, -
 - (i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said stretch on the basis of -
 - (a) length of the project highway specified for a particular plaza.
 - (b) base fee given in column (3) of the Table above and shall be rounded off to nearest five rupees on the lower side.
 - (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification, as the case may

- be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;
- (iii) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
- (iv) "local personal traffic" means any personal vehicle which is registered with the concessionaire by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section and such person is, therefore, required to use such vehicles for commuting on a part of the said section, without crossing more than one of the Plazas, in the course of normal travel to and from his place of work or residence.
- (v) "local commercial traffic" means any commercial vehicle including bus, truck, light motor vehicle or taxi engaged in carrying goods and passengers which is registered with the concessionaire and plying routinely on the said section without crossing more than one Plaza;
- (vi) Words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.
2. The rate of fee shall be revised every year with effect from 1st July, and the revised fee shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length of the section for a particular plaza}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on March, 31st 1997
- WPI-B = is the Wholesale Price Index on March 31st preceding the fee revision date.
- WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

3. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-
- (i) Vehicles-
- (A) having VIP symbols or officially belonging to:
- (a) the President of India;
 - (b) the Vice-President of India;
 - (c) the Governor of a State and Lt. Governor of a Union territory;
 - (d) a Foreign dignitary on State visit to India;

- (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
 - (f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if such person is sitting in the vehicle; or
 - (g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
- (B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;
- (ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 (as extended to Navy) and the rules made there under.
 - (iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
4. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.
5. The Concessionaire shall not collect fees from local personal traffic and local commercial traffic in excess of the following discounted rates, namely;
- (a) local personal traffic: twenty five per cent. of the fees applicable for that specified category of vehicle;
 - (b) local commercial traffic: fifty per cent. of the fees applicable for that specified category of vehicle.

Provided, that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the concessionaire shall levy and collect fees from such local traffic, if they use the said section.

6. Each toll plaza shall levy fee for the length of the section specified below:

- (i) Toll plaza at km. 64.57 - for the length of 18.50 km.
- (ii) Toll plaza at km. 98.50 - for the length of 38.50 km.

Provided that the user of the section shall have the option to pay the fee for the whole stretch at the first plaza itself and in such case, the second plaza shall not levy fee on production of receipt.

7. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle which is not specified under column (2) of the table above.
8. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers one of which shall be in vernacular language, specifying the date of commercial operation at least ten days prior to the date of such commercial operation and shall follow the same procedure for giving effect to revised fee atleast ten days prior thereto.
9. The actual fees to be charged to users shall be computed by the Concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31st March every year, but at least forty- five days before the revised rate is to be made effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications within a period of fifteen days from the date of receipt of said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarification during the said period, the revised fee as proposed by the Concessionaire shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/405/08-09/CO/GC Dausa (Bharatpur-Mahua) BOT]
PRABHAKAR, Dy. Secy.

524 GI/09-3